जगबीर सिंह कांस्टेबल नंबर 88WC1D K स्टेट 01' हरियाणा 137
और अन्य *(राजीव नारायण रैना, जे।*

***जस्टिस राजीव नारायण रैना* के समक्ष**

जगबीर सिंह कांस्टेबल नंबर 880/सीआईडी- ***याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ***उत्तरदाता***

2013 की सीडब्ल्यूपी संख्या 14454

जुलाई 10,2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - सेवा कानून - भेदभाव - स्वीकृत छुट्टी पर नियमित डॉग हैंडलर - स्थानापन्न डॉग हैंडलर - स्थानापन्न डॉग हैंडलर की लापरवाही के कारण कुत्ते की मौत- प्रभारी और स्थानापन्न डॉग हैंडलर पर लगाई गई बड़ी सजा - पुनरीक्षण में प्रभारी पर लगाए गए दो वेतन वेतन वृद्धि को रोकने के लिए सजा और डॉग हैंडलर पर चार वेतन वृद्धि रोकने की बड़ी सजा - प्रभारी जागीर सिंह द्वारा रिट याचिका में चुनौती दी गई - देखभाल का कर्तव्य - लापरवाही - सजा अनुपातहीन नहीं - दो समान रूप से स्थित नहीं हैं क्योंकि भूमिकाएं समान नहीं हैं - रिट याचिका खारिज कर दी गई।

निर्धारित किया गया कि यह सवाल निर्धारण के लिए उठता है कि क्या दोनों के लिए जिम्मेदार भूमिकाएं उन परिस्थितियों में लापरवाही की डिग्री में समान और समान हैं, जिनके कारण राणा की मृत्यु हुई। इस सवाल के जवाब में, मुझे लगता है कि ईएचसी जगमाल सिंह की तुलना में डॉग स्क्वाड इंचार्ज-याचिकाकर्ता पर कहीं अधिक कर्तव्य डाला गया था। जगमाल सिंह के पास अपने वरिष्ठ के आदेश पर कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दूसरी ओर, डॉग स्क्वाड के इन-चार्ज के पास कुत्ते के मास्टर हैंडलर की अनुपस्थिति में एक उपयुक्त डॉग हैंडलर चुनने में कई विकल्प थे जो स्वीकृत छुट्टी पर थे। जिम्मेदारी के मामले में लापरवाही की डिग्री इन-चार्ज डॉग स्क्वाड के मामले में प्रिंसिपल केयरगिवर की अनुपस्थिति में कुत्ते की देखभाल के लिए उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक है। इसलिए भेदभाव के तर्क को खारिज किया जाता है।

(पैरा 8)

डॉ. सुरेश कुमार रेढू, अधिवक्ता, ***याचिकाकर्ता के लिए***

राजीव नारायण रैना, जे।

(एक) याचिकाकर्ता पुलिस राज्य अपराध शाखा (एच) में डॉग स्क्वायड के प्रभारी के रूप में तैनात है। राणा नाम का कुत्ता था जो पुलिस द्वारा बनाए गए डॉग स्क्वायड का हिस्सा था। राणा का पुलिस डॉग हैंडलर स्वीकृत छुट्टी पर चला गया और इसके बजाय डॉग स्क्वाड के प्रमुख के रूप में याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल जगमाल सिंह को उसकी अनुपस्थिति में कुत्ते की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया। उसे 27.01.2007 को कुत्ते का प्रभार दिया गया था।

(दो) पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध शाखा (एच) द्वारा दिनांक 25-02-2007 को अनुदेश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार यूनिट को सौंपे गए कुत्तों की पाक्षिक चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है और देखभाल करने वालों को समय-समय पर उनका वजन उठाना होता है और तदनुसार पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करना होता है।

(तीन) स्थानापन्न डॉग हैंडलर जगमाल सिंह ने निर्देशों का पालन नहीं किया और पुलिस अधीक्षक को कुत्ते की मेडिकल और वजन रिपोर्ट भेजने में विफल रहे। कुत्ते की मृत्यु 7/8-05-2007 को हुई। शव परीक्षण गांव उच्च समाना कमल के पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा सर्जन डॉ. एनके महानी द्वारा किया गया, जिन्होंने पाया कि कुत्ते को तीन दिनों से नहीं खिलाया गया था, जिसके कारण उसके पेट में गैस भर गई थी, जिससे दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बताया गया है।

(चार) समय पर कुत्ते को खाना नहीं खिलाने और न ही चिकित्सकीय जांच या वजन करने में कर्तव्य के प्रदर्शन में लापरवाही के लिए याचिकाकर्ता और बीएमसी जगमाल सिंह को चार्जशीट जारी की गई थी। कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई। देखभाल की कमी का आरोप लगाया गया था। इससे पहले याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बचाव में जवाब दाखिल किया। उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। नियमित जांच बिठाई गई। इसके बाद हुई नियमित जांच में आरोप साबित हुए। जवाब पर विचार करने पर, आरोप और जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों पर, पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता और जगमाल सिंह दोनों अपराधियों पर स्थायी प्रभाव से चार वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के लिए बड़ी सजा सुनाई। याचिकाकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध) हरियाणा, पंचकुला में अपील की जो दिनांक 31.01.2008 के आदेश द्वारा विफल रही। डीजीपी-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी को आगे के संशोधन में यह माना गया कि जांच में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और यह किसी भी कानूनी कमजोरी से ग्रस्त नहीं है। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किए गए 'राणा' की मौत का कारण आहार की कमी या हैंडलिंग से जुड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता इकाई का प्रभारी या ड्यूटी पर होने के नाते यह सुनिश्चित करने के लिए

कुत्ते की उचित देखभाल उसे नियमित हैंडलर की अनुपस्थिति में किसी और को यह कर्तव्य सौंपना

चाहिए था। एक उदार दृष्टिकोण लेते हुए, उन्होंने याचिकाकर्ता को सुधार का मौका देने के लिए अस्थायी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि को रोकने के लिए छोटी सजा को कम कर दिया। डीआईजी के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के समक्ष एक संशोधन दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया।

(पाँच) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील डॉ. सुरेश कुमार रेढू इन आदेशों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को बलि का बकरा बनाया गया था और उन्होंने निवेदन किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉ. एनके महानी, पशु चिकित्सा सर्जन, पशु चिकित्सा अस्पताल के गांव उच्छा समाना कमल के दबाव में प्राप्त की गई थी, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध शाखा, मधुबन के दबाव में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इन मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है।

(छः) स्वभाव से कुत्ते संवेदनशील जानवर हैं और मनुष्य के दोस्त हैं जिन्हें हजारों साल पहले पालतू बनाया गया था। पुलिस कुत्तों को विशेष हैंडलिंग, देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है। एक डॉग स्काड हेड से न केवल अपने प्रत्येक कुत्ते की प्रकृति और व्यक्तित्व लक्षणों को जानने की उम्मीद की जाती है, बल्कि प्रत्येक कुत्ते हैंडलर की संवेदनशीलता भी होती है। प्रत्येक कुत्ता चरित्र और व्यक्तिगत प्रकृति में भिन्न होता है, प्रभारी या देखभाल करने वाले को कुत्ते के संचालकों में से चयन करने के लिए एक बड़ा कर्तव्य होता है जैसे कि कुत्ते के दस्ते के प्रत्येक कैनाइन सदस्य की व्यक्तिगत प्रकृति के साथ सबसे अधिक संगत जब नियमित कुत्ता हैंडलर छुट्टी पर होता है, अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सवाल को खारिज कर रहे हैं, पुलिस महानिदेशक ने यदि हैंडलिंग अथवा आहार की कमी के कारण नहीं बल्कि कुत्ते के मित्र के चयन पर उसके मास्टर डॉग हैंडलर की अनुपस्थिति में कम दंड दिया है। यह मुखर आधार या आवेश का पिथ और पदार्थ प्रतीत होता है।

(सात) डा रेढू द्वारा उठाया गया अगला मुद्दा यह है कि सह-अभियुक्त जगमाल सिंह ने स्थायी प्रभाव से चार वेतनवृद्धियां रोकने की सजा को अस्थायी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियां रोकने के लिए कम कर दिया है ताकि उन्हें सुधार का मौका मिल सके। ईएचसी डॉग हैंडलर जगमाल सिंह हल्के से उतर गया है और याचिकाकर्ता को दी गई सजा भेदभावपूर्ण होने के अलावा कथित कदाचार के लिए अनुपातहीन है। एक ही लेन-देन में दो समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच दंड देने के मामले में भी गैर-भेदभाव होना चाहिए।

(आठ) निर्धारण के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या दोनों की भूमिका उन परिस्थितियों में लापरवाही की डिग्री में समान और समान है, जिसके कारण राणा की मृत्यु हुई। इस सवाल के जवाब में, मुझे लगता है कि ईएचसी जगमाल सिंह की तुलना में डॉग स्काड इंचार्ज-याचिकाकर्ता पर कहीं अधिक कर्तव्य डाला गया था। जगमाल सिंह के पास अपने वरिष्ठ के आदेश पर कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दूसरी ओर, डॉग स्काड के प्रभारी के पास कुत्ते के मास्टर हैंडलर की अनुपस्थिति में एक उपयुक्त डॉग हैंडलर चुनने में कई विकल्प थे, जो

स्वीकृत छुट्टी पर थे। जिम्मेदारी के मामले में लापरवाही की डिग्री प्रभारी डॉग स्काड की आसानी में कहीं अधिक है, जो कि प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में कुत्ते की देखभाल के लिए उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति की तुलना में है। इसलिए भेदभाव के तर्क को खारिज किया जाता है।

(नौ) नतीजतन, मुझे इस याचिका में कोई आंतरिक योग्यता नहीं मिलती है जो प्रशासक द्वारा चुनी गई और दी गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त है।

(दस) याचिका खारिज करने योग्य है।

(ग्यारह) तदनुसार आदेश दिया।

एस गुप्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा